इटावा पुलिस

सराहनीय कार्य

#CRACKDOWN

#इटावा पुलिस को मिली बडी सफलता **दिनांक 20.08.2026**

- **हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार,**
- **कब्जे से 02 अवैध तमन्चा 315 बोर, 04 जिंदा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर व 2,120/- रुपये नकद बरामद ।**

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा श्री अभयनाथ त्रिपाठी के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी जसवंतनगर सुश्री आयुषी सिंह के नेतृत्व में एसओजी/सर्विलांस एवं थाना जसवंतनगर पुलिस द्वारा संयुक्त रुप से की गयी कार्यवाही ।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी श्याम वीर सिंह पुत्र जयवीर सिंह निवासी पीपरीपुरा थाना जसवंतनगर जनपद इटावा द्वारा थाना जसवंतनगर पर लिखित तहरीरी सूचना दी गयी कि विपक्षी अंशुल पुत्र बलराम, सुखवीर पुत्र अकबर सिंह एवं अन्य उनके साथियों द्वारा एकराय होकर वादी के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किये गये जिसके कारण वादी का भतीजा फायर की आवाज सुनकर वहां आ गया तो अंशुल एवं उसके साथियों द्वारा योजना बद्ध तरीके से वादी के भतीजे राहुल की गोली मारकर हत्या कर दी गयी । सूचना पर थाना जसवंतनगर पर **मु0अ0सं0 237/2026 धारा 103(1)/190/191(2)/191(3)/109(1) बीएनएस** पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः- जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में **दिनांक 20.08.2026 को एसओजी/सर्विलांस एवं** थाना जसवंतनगर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से थाना क्षेत्रान्तर्गत धनुवा रोड, खुशालपुरा एवं खेड़ा बुजुर्ग के मध्य संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चैकिंग की जा रही थी । इसी दौरान 02 संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया, तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई। जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, तो अभियुक्त अंशुल के दोनों पैरों में गोली लगी जिसे घायल अवस्था में एवं उसके साथी अभियुक्त सुखवीर पुत्र अकबर सिंह को गिरफ्तार किया गया ।

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना जसवंतनगर पर **मु0अ0सं0 239/2026 धारा 109(1) (पु0मु0) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. अंशुल यादव पुत्र बलराम सिंह, निवासी ग्राम पीपरीपुरा, थाना जसवन्तनगर, जनपद इटावा, उम्र करीब 25 वर्ष ।
2. सुखवीर पुत्र अकबर सिंह, निवासी ग्राम पीपरीपुरा, थाना जसवन्तनगर, जनपद इटावा, उम्र करीब 42 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 239/2026 धारा 109(1) बीएनएस (पुलिस मुठभेड़) एवं धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना जसवंतनगर जनपद इटावा ।
2. मु0अ0सं0 237/2026 धारा 103(1)/190/191(2)/191(3)/109(1) बीएनएस थाना जसवंतनगर जनपद इटावा ।

बरामदगीः-

1. 02 अवैध तमन्चे 315 बोर
2. 04 जिंदा कारतूस 315 बोर
3. 02 खोखा कारतूस 315 बोर
4. ₹2,120/- नगद

पुलिस टीमः- प्रथम टीमः- एसओजी/सर्विलांस टीम

द्वितीय टीम - थानाध्यक्ष श्री कमल भाटी, उ0नि0 ललित किशोर चतुर्वेदी, उ0नि0 हेमन्त कुमार, का0 आर्य चिकारा, का0 सनोज कुमार, का0 अवनीश कुमार, का0 संजय कुमार, का0 सुशील कुमार, का0 आलोक कुमार वर्मा।